भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1276

31 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात निर्यात में गिरावट

1276. सुश्री दोला सेन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष-दर-वर्ष इस्पात निर्यात में गिरावट के लिए उत्तरदायी कारकों के संबंध में कोई विश्लेषण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग पर मई और नवंबर, 2022 के बीच लगाए गए निर्यात शुल्कों का उसके निर्यात संबंधी प्रदर्शन पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उद्योग के समक्ष आ रही निर्यात संबंधी चुनौतियों का समाधान और इसकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (घ): विगत तीन वर्षों और अप्रैल-जून 2023-24 (अनंतिम) में कुल तैयार इस्पात के समग्र निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तैयार इस्पात का कुल निर्यात		
वर्ष	**मात्रा**	**% परिवर्तन**
2020-21	10.78	29.1
2021-22	13.49	25.1
2022-23	6.72	-50.2
अप्रैल-जून 2023-24*	2.05	-6.4
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; मात्रा मिलियन टन में; * अनंतिम		

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। इस्पात का निर्यात वैश्विक बाजार की स्थितियों, मांग एवं आपूर्ति, इनपुट कच्चे माल जैसे कि लौह अयस्क, कोकिंग कोल आदि की कीमत जैसे कारकों पर निर्भर है जो बाजार से संबद्ध होते हैं। सरकार निर्यातों, आयातों, मूल्यों आदि सहित पूरे इस्पात परिदृश्य पर नियमित रूप से नजर रखती है। वित्त वर्ष 2023 में इस्पात निर्यातों में कमी के कारकों में से एक कारक घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और महँगाई पर काबू पाने के लिए कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाना था।

(ङ) और (च): उद्योग के सामने आने वाली निर्यात चुनौतियों का समाधान करने और उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर कच्चा माल और तैयार इस्पात, दोनों पर सीमा शुल्क का अंशांकन और ईईपीसी जैसे निर्यात संवर्धन परिषद सदस्यों को इस्पात उपलब्ध करवाना शामिल है।

****